

दिनांक 23/11 को पेश हो

29/3/16

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण प्रतिवादीगण  
उपस्थित। पत्रावली गत आदेशानुसार  
दिनांक 26/4/16 को पेश हो।

उपस्थित अधिकारी  
राजस्थान शाखावासी

26/4/16

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण प्रतिवादीगण  
उपस्थित। एस.डी.ओ. साहब अन्य कार्य में  
व्यस्त है प्रमण पर है। निराल गत आदेशानुसार  
दिनांक 10/5/16 को पेश हो।

10/5/16

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण प्रतिवादीगण  
उपस्थित। एस.डी.ओ. साहब अन्य कार्य में  
व्यस्त है प्रमण पर है। निराल गत आदेशानुसार  
दिनांक 6/6/16 को पेश हो।

6/6/16

पत्रावली केम्प ऑफ़ खौरिया  
पेश हुई। वकील उभयपक्षगण  
उपस्थित। वकील पक्षकारान की  
शुनी गई। पत्रावली गुण अवलोक  
किया गया। प्रकरण में गुणावगु  
पर विचार किया गया। प्रकरण  
निर्णय मूल वाद में साक्ष्य सबू  
आदि लिखे जाने के बाद मैरिट  
पर होगा। आदेश दिनांक 17/10/20  
की पुष्ट (कमकर्म) किया जाता है।  
अपार्थीगण को वाद के निर्णय तक  
परिचय अस्थायी विधेयता के माबन्द

राजस्थान लोक अदालत - 2016

क्र. 56/14 श्रीराम कान्त गुप्ता जज

श्रीराम जज

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामिल  
में जारी हुए

राजस्व लोक अदालत - 2016

श्रीराम जाता है कि विवाहित आराजी शक  
नं. 4/13 (4/3) रकबा 2.37 है, ख.न. 28/2  
रकबा 0.82 है, ख.न. 32/2 रकबा 1.78 है.  
प्रां. ग्राम गंगापुरा तहसी - रामगढ के  
राजस्व रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति को  
परिष्कार नहीं करें। पत्नावली फैसल  
नुमा होकर नम्बर से कम हो, बाद  
जाकर कार्यवाही मूल बाद से आय  
संबन्ध हो। निर्णय पर आप डिप्लोम  
5/6/16 को कैम्प कोर्ट खोशिया में  
सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
रामगढ शखावाटी (सीकर)  
लोक अदालत / कैम्प कोर्ट 2016  
ग्राम पंचायत...

खोशिया में  
मपमनारान  
न की बध्या  
अवलोकन  
गुणावगुण  
पुकरण का  
साक्ष्य सबूत  
बाद में रिट  
17/10/2014  
समय में